न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 776/2024

अनवान : –

1. सन्तोष कुमार पुत्र श्योचन्दगिर जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरड़की तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राकेश कुमार पुत्र श्योचन्दगिर जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरड़की तहसील नोहर।
2. धापा देवी पत्नी सन्तोष कुमार जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरड़की तहसील नोहर।
3. सरिता पत्नी राकेश कुमार जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरड़की तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

श्री रविकान्त स्वामी अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 09/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 295/285 की कुल 14.3920 हैक्ट भूमि में 260/5397 हिस्सा भूमि वादी के व 260/5397 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 253/7196 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के तथा 253/7196 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता स0 416/328 के ख0न0 526/229 की कुल 1.9810 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 के नाम बहिब दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादी व प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि पूर्वजों की संयुक्त आय से मिली हुई है। वादी व प्रतिवादीगण ने पूर्वजों के बंटवारा के अनुसार वादग्रस्त भूमि काश्त करते आ रहे है तथा वादग्रस्त भूमि का वादी व प्रतिवादीगण ने बाहमी बंटवारा कर रखा है एवं मुताबिक बंटवारा के ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है। मुताबिक बंटवारा रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 295/285 की कुल 14.3920 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1.199 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1.199 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम कलमजन रहेंगा। रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता संख्या 416/328 की कुल 1.9810 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 प्रत्येक का 1/2 हिस्सा भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे [illegible] दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.19 18:47:51 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी [illegible] हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 295/285 व रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता स0 416/328 आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज है वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादी व प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि पूर्वजों की संयुक्त आय से मिली हुई है। वादी व प्रतिवादीगण ने पूर्वजों के बंटवारा के अनुसार वादग्रस्त भूमि काश्त करते आ रहे है तथा वादग्रस्त भूमि का वादी व प्रतिवादीगण ने बाहमी बंटवारा कर रखा है एवं मुताबिक बंटवारा के ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है। मुताबिक बंटवारा रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 295/285 की कुल 14.3920 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1.199 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1.199 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम कलमजन रहेंगा। रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता संख्या 416/328 की कुल 1.9810 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 प्रत्येक का 1/2 हिस्सा भूमि यथावत रहेगी। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 295/285 की कुल 14.3920 हैक्ट भूमि में 260/5397 हिस्सा भूमि वादी के व 260/5397 हिस्सा भूमि प्रतिवा[illegible] भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के तथा 253/7196 हिस्सा भूमि प्रतिवादी [illegible] रिकार्ड है तथा रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता [illegible] ख0न0 526/229 की कुल 1.9810 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 के नाम बहिब द[illegible] राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादी व प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.19 18:47:51 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी

पूर्वजों की संयुक्त आय से मिली हुई है। वादी व प्रतिवादीगण ने पूर्वजों के बंटवारा के अनुसार वादग्रस्त भूमि काश्त करते आ रहे है तथा वादग्रस्त भूमि का वादी व प्रतिवादीगण ने बाहमी बंटवारा कर रखा है एवं मुताबिक बंटवारा के ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है। मुताबिक बंटवारा रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 295/285 की कुल 14.3920 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1.199 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1.199 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम कलमजन रहेंगा। रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता संख्या 416/328 की कुल 1.9810 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 प्रत्येक का 1/2 हिस्सा भूमि यथावत रहेगी। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 295/285 की कुल 14.3920 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम कलमजन किया जाकर 1.199 हैक्ट भूमि का वादी को एवं 1.199 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जताा है एवं रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता स0 416/328 की कुल 1.9810 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 प्रत्येक का 1/2 हिस्सा भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/9/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वांल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.19 18:47:51 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 776 / 2024

अनवान : –

1. सन्तोष कुमार पुत्र श्योचन्दगिर जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरड़की तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राकेश कुमार पुत्र श्योचन्दगिर जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरड़की तहसील नोहर।
2. धापा देवी पत्नी सन्तोष कुमार जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरड़की तहसील नोहर।
3. सरिता पत्नी राकेश कुमार जाति गोसाई (गुसाई) निवासी अरड़की तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 776 सन 2024 निर्णय दिनांक 09/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी व राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 295 / 285 की कुल 14.3920 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम कलमजन किया जाकर 1.199 हैक्ट भूमि का वादी को एवं 1.199 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जतिा है एवं रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता स0 416 / 328 की कुल 1.9810 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 प्रत्येक का 1 / 2 हिस्सा भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.19 18:47:51 IST
Reason: SelfAttested